विवरणिका - आवेदन पत्र

2026-28

पाठ्यक्रम

हिंदी शिक्षण निष्णात (समकक्ष एम.एड)

हिंदी शिक्षण पारंगत (समकक्ष बी.एड)

हिंदी शिक्षण प्रवीण (समकक्ष डी.एल.एड)

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

हिंदी संस्थान, मार्ग, आगरा-282005

वेबसाइट : www.hindisansthan.in

ई-मेल : directorkhs1960@gmail.com, registrarofficekhs1960@gmail.com

क्षेत्रीय केंद्र : दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद

परिचय

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ई. में स्थापित स्वायत्त संगठन **केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल** द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्तर की एक स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्था है।

संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके आठ केंद्र इन नगरों में सक्रिय हैं - दिल्ली (1970), हैदराबाद (1976), गुवाहाटी (1978), शिलांग (1987), मैसूर (1988), दीमापुर (2003), भुवनेश्वर (2003) तथा अहमदाबाद (2006)।

हिंदी भारत की एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आधुनिक भारत के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा मूल्य है जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के हर कार्यक्रम के मूल में विद्यमान है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल ने अपने संस्था ज्ञापन (एम.ओ.यू.) (M.O.U) में कुछ संकल्प एवं कार्य निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं-

(i) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालन में अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत, संचालित एवं उपलब्ध कराना जो इस भाषा के विकास और प्रसार की दृष्टि से उपयोगी हों।

(ii) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के उच्चतर अध्ययन का प्रबंध करना तथा हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना और हिंदी भाषा एवं शिक्षण विषयक विविध अनुसंधान कार्यों का आयोजन करना।

(iii) विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण, निरीक्षण एवं नियंत्रण करना।

(iv) अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की परीक्षा लेना तथा उपाधि प्रदान करना।

(v) विभिन्न स्तर की पाठ्य-पुस्तकें और अनुसंधान पुस्तकें तैयार करना और प्रकाशित करना।

(vi) संस्थान के उद्देश्यों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(vii) संस्थान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप अन्य उन संस्थाओं के साथ जुड़ना या सदस्यता ग्रहण करना या सहयोग करना या सम्मिलित होना जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से मिलते-जुलते हों।

(viii) समय-समय पर नियमानुसार अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), छात्रवृत्ति और पुरस्कार, सम्मान पदक की स्थापना कर हिंदी से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि।

संस्थान के कार्यक्षेत्र -

1. प्रशिक्षणपरक कार्यक्रम :

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों और हिंदी शिक्षण-अधिगम के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मुख्यालय, आगरा में **अध्यापक शिक्षा विभाग** के अंतर्गत कक्षा-शिक्षण माध्यम से नियमित प्रशिक्षणपरक निम्नलिखित पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2026-28 में चलाए जाएँगे -

(i) **हिंदी शिक्षण निष्णात-** एम.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय/चार सेमेस्टर) (आगरा)

(ii) **हिंदी शिक्षण पारंगत-** बी.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय/चार सेमेस्टर) (आगरा)

(iii) **हिंदी शिक्षण प्रवीण-** डी.ईएल.एड. समकक्ष पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) (आगरा)

2. नवीकरण एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रम :

हिंदीतर भाषी राज्यों के अध्यापकों के लिए संस्था के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा नवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका मार्गदर्शन मुख्यालय, आगरा के शैक्षिक समन्वयक कार्यालय द्वारा किया जाता है।

मुख्यालय, आगरा के नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग द्वारा गुजरात, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम राज्य के हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों के लिए भाषा संवर्धनात्मक कार्यक्रम आगरा में संचालित किए जाते हैं।

3. शिक्षणपरक कार्यक्रम :

(क) विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण -

भारत सरकार की (विदेशों में) हिंदी प्रचार-प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत चुने गये विदेशी विद्यार्थियों के लिए मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं -

(i)	**हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र**	**-**	**100**
(ii)	**हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा**	**-**	**200**
(iii)	**हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा**	**-**	**300**
(iv)	**हिंदी स्नातकोत्तर डिप्लोमा**	**-**	**400**

दिल्ली केंद्र पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों (1 से 3 तक) का संचालन स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत किया जाता है। ये पाठ्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से कोलम्बो/कैंडी (श्रीलंका) में भी संचालित किए जाते हैं।

(ख) सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित) -

संस्थान के मुख्यालय आगरा और क्षेत्रीय केंद्रों पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं-

(i) पोस्ट एम.ए. अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा

(ii) स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा

(iii) भाषा कौशल प्रमाण-पत्र

(iv) अनुवाद प्रमाण-पत्र (प्रादेशिक भाषा से हिंदी और हिंदी से प्रादेशिक भाषा)

(v) हिंदी पाठ संपादन एवं अशुद्धि शोधन प्रमाण-पत्र

4. अनुसंधानपरक कार्यक्रमः

केंद्रीय हिंदी संस्थान का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को निरंतर अग्रसर करना है-

(i) हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों के विकास के लिए शोध।

(ii) हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन।

(iii) हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान।

(iv) हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और भाषा-प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान।

(v) हिंदी का समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन।

(vi) प्रयोजनपरक हिंदी से संबंधित शोध कार्य।

उपर्युक्त अनुसंधानपरक कार्यों के दौरान द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

5. शिक्षण सामग्री निर्माण और भाषा विकास

केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्य-पुस्तकों, कोश और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का निर्माण करता है -

(i) हिंदीतर राज्यों और जनजाति क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण।

(ii) हिंदीतर राज्यों के लिए हिंदी के व्यतिरेकी व्याकरण एवं द्विभाषी अध्येता कोशों का निर्माण।

(iii) विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पाठय-पुस्तकों का निर्माण।

(iv) कम्प्यूटर साधित हिंदी शिक्षण सामग्री का निर्माण।

(v) दृश्य-श्रव्य माध्यमों से हिंदी शिक्षण पाठ्य सामग्री का निर्माण।

(vi) हिंदी तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं के द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों का निर्माण।

6. प्रकाशन -

- संस्थान द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान, द्विभाषी कोश आदि से संबद्ध विभिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। अब तक 200 से अधिक पुस्तकें संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्य-पुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया जाता है।
- संस्थान द्वारा **गवेषणा, संवाद पथ, समन्वय पूर्वोत्तर, समन्वय दक्षिण, समन्वय पश्चिम, शैक्षिक उन्मेष एवं प्रवासी जगत** पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है ।
- मासिक बुलेटिन - **संस्थान समाचार**

- इनके अलावा दो विभागों के विद्यार्थियों की पत्रिकाओं **समन्वय (अध्यापक शिक्षा विभाग)** और **हिंदी विश्व भारती (अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग)** का प्रकाशन वार्षिक रूप से होता है।

7. संस्थान से संबद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालयः

हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के स्तर को समुन्नत करने तथा पाठ्यक्रम में एकरूपता के उद्देश्य से हिंदीतर भाषी राज्यों के निम्नलिखित महाविद्यालयों/संस्थानों को संस्थान से संबद्ध किया गया है -

(i) राजकीय हिंदी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर गुवाहाटी (असम)

(ii) मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आइजोल (मिजोरम)

(iii) राजकीय हिंदी संस्थान, दीमापुर (नागालैंड)

पाठ्यक्रमों का सामान्य विवरण

1. हिंदी शिक्षण निष्णात :

यह पाठ्यक्रम एम.एड. के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के मानकानुसार दो वर्ष (चार सेमेस्टर) है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय आगरा में संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ -

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी शिक्षण विधि के साथ 50% अंकों सहित बी.एड. अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत उत्तीर्ण।

अथवा

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित बी.एड. उत्तीर्ण तथा
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय के साथ कला स्नातक (बी.ए.) अथवा स्नातकोत्तर [एम.ए.] (हिंदी)

2. हिंदी शिक्षण पारंगत :

यह पाठ्यक्रम बी.एड. के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के मानकानुसार दो वर्ष (चार सेमेस्टर) है। यह पाठ्यक्रम संस्थान के मुख्यालय आगरा तथा संस्थान से संबद्ध मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आइजोल (मिजोरम) में भी संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ :

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं-

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ हिंदी विषय सहित कला स्नातक (बी.ए.) उत्तीर्ण और/या 50% अंकों के साथ एम.ए. हिंदी विषय में उत्तीर्ण।

3. हिंदी शिक्षण प्रवीण :

यह पाठ्यक्रम डी.एल.एड. के समकक्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि एन.सी.टी.ई. के मानकानुसार दो वर्ष है। यह पाठ्यक्रम संस्थान मुख्यालय, आगरा तथा संबद्ध मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आइजोल (मिजोरम) में संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ -

मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/केंद्र सरकार के बोर्ड से 50% अंकों के साथ हिंदी विषय सहित इंटरमीडिएट (हायर सेकेंडरी, प्री- यूनिवर्सिटी), उत्तीर्ण

अथवा

1. मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/केंद्र सरकार के बोर्ड से 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (हायर सेकेंडरी, प्री. यूनिवर्सिटी) उत्तीर्ण तथा
2. संस्थान से सम्बद्ध अन्य संस्थान/महाविदयालय से द्विवर्षीय हिंदी कौशल डिप्लोमा पाठ्यक्रम/त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा।

पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

1. **हिंदी शिक्षण निष्णात (प्रथम सेमेस्टर) :**

1. शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य
2. शिक्षा मनोविज्ञान एवं मनोभाषिकी
3. शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व
4. भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा की संरचना
5. ऐच्छिक पाठ्यक्रम
6. भारतीय संविधान एवं शिक्षा

(1) प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

(2) माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

(3) उच्च शिक्षा प्रणाली, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

हिंदी शिक्षण निष्णात (द्वितीय सेमेस्टर) :

1. शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी
3. शैक्षिक अनुसंधान के उपकरण एवं प्रविधियाँ
4. व्यतिरेकी भाषा विज्ञान एवं त्रुटि विश्लेषण
5. अकादमिक लेखन
6. कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण

हिंदी शिक्षण निष्णात (तृतीय सेमेस्टर) :

1. शिक्षा का ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य
2. अध्यापक शिक्षा
3. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन
4. अन्य भाषा हिंदी का प्रगत शिक्षणशास्त्र
5. लघु शोध प्रबंध : शोध प्रस्ताव
6. प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप कार्यक्रम

हिंदी शिक्षण निष्णात (चतुर्थ सेमेस्टर) :

1. शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन
2. पाठ्यचर्या अध्ययन
3. ऐच्छिक पाठ्यक्रम
   (1) शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श
   (2) समावेशी शिक्षा : समालोचनात्मक दृष्टिकोण
   (3) शिक्षा में वैकल्पिक विचारधारा
4. ऐच्छिक पाठ्यक्रम
   (1) भारतीय ज्ञान प्रणाली
   (2) योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा
   (3) जीवन कौशल शिक्षा
5. लघु शोध प्रबंध : प्रस्तुति एवं मूल्यांकन

---------------------X-------------------

2. हिंदी शिक्षण पारंगत (प्रथम सेमेस्टर) :

1. शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएँ एवं समाजशास्त्रीय आधार
2. विकास एवं अधिगम का मनोविज्ञान
3. भाषा विज्ञान
4. हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास
5. शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी
6. भारतीय कला, संस्कृति एवं शिक्षा

हिंदी शिक्षण पारंगत (द्वितीय सेमेस्टर) :

1. भारतीय शिक्षा का उद्भव
2. अधिगम के लिए आंकलन
3. अन्य भाषा हिंदी शिक्षणशास्त्र
4. सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र
5. हिंदी भाषा की संरचना और भाषा परिमार्जन
6. नागरिकता शिक्षा, संपोषणीयता एवं पर्यावरण शिक्षा

हिंदी शिक्षण पारंगत (तृतीय सेमेस्टर) :

1. ज्ञान एवं पाठ्यचर्चा
2. अन्य भाषा हिंदी शिक्षणशास्त्र : विद्यालय प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप कार्यक्रम
3. सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र : विद्यालय प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप कार्यक्रम
4. विद्यालय संपर्क कार्यक्रम (क्षेत्र अभ्यास)
5. विद्यालय शोध परियोजना
6. समुदाय संलग्नता एवं सेवा

हिंदी शिक्षण पारंगत (चतुर्थ सेमेस्टर) :

1. विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व
2. समावेशी शिक्षा
3. जेंडर, विद्यालय एवं समाज
4. शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श
5. हिंदी साहित्य (गद्य एवं पद्य)
6. ऐच्छिक पाठ्यक्रम :
   (1) योग एवं स्व-बोध
   (2) शांति शिक्षा
   (3) मानवाधिकार शिक्षा

विद्यालय प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप कार्यक्रम - अन्य भाषा हिंदी शिक्षणशास्त्र

क्रेडिट : 06 **कुल अंक- 150**

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	-	60
आंतरिक मूल्यांकन	-	90
		कुल 150

विद्यालय प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप कार्यक्रम - सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र

क्रेडिट : 06 कुल अंक- 150

अंक विभाजन :

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	-	60
आतंरिक मूल्यांकन	-	90
		कुल 150

----------------------X--------------------

3 हिंदी शिक्षण प्रवीण (प्रथम वर्ष) :

1. भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा
2. बाल मनोविज्ञान
3. संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी
4. सामान्य भाषाविज्ञान
5. हिंदी भाषा की संरचना
6. भाषा परिमार्जन
7. अन्य भाषा हिंदी शिक्षण
8. सामाजिक अध्ययन शिक्षण

हिंदी शिक्षण प्रवीण (द्वितीय वर्ष) :

1. विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन
2. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ (प्रारंभिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में)
3. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन
4. पर्यावरण शिक्षा
5. हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास
6. हिंदी साहित्य (पद्य और गद्य)
7. योग विज्ञान

प्रायोगिक खंड-

1. शिक्षण अभ्यास - हिंदी शिक्षण
2. शिक्षण अभ्यास - सामाजिक अध्ययन शिक्षण

शिक्षण अभ्यास - हिंदी शिक्षण

कुल अंक- 200

अंक विभाजनः

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	-	100
आतंरिक मूल्यांकन	-	100
		कुल 200

शिक्षण अभ्यास-सामाजिक अध्ययन शिक्षण

कुल अंक- 200

अंक विभाजनः

बाह्य प्रायोगिक परीक्षा	-	100
आतंरिक मूल्यांकन	-	100
	कुल	200

----------------------X--------------------

केंद्रीय पुस्तकालय

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें मुख्य रूप से भाषाविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, साहित्य, जनसंचार एवं पत्रकारिता आदि के विषयों की सूचना-सामग्री को संकलित किया गया है। मुख्यालय एवं केंद्रों के पुस्तकालय में लगभग एक लाख दस हजार पुस्तकें/सूचना-सामग्री उपलब्ध हैं, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, सजिल्द शोध एवं सामान्य पत्रिकाएँ तथा लघु शोध प्रबन्ध सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ भी पाठकों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

समस्त पुस्तकों एवं लघु शोध प्रबन्ध का बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस कम्प्यूटर में उपलब्ध हैं। इसकी सहायता से कम समय में सूचना-सामग्री की उपलब्धता उपयोगकर्ता को प्राप्त हो जाती है।

केंद्रीय पुस्तकालय में दो वाचनालय - **'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कक्ष'** एवं **'महावीर प्रसाद द्विवेदी कक्ष'** तथा एक **'संदर्भ ग्रंथ कक्ष'** है।

प्रमुख नियम -

(1) पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समयानुसार खुलेगा।

(2) सभी छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए प्रवेश के समय कार्यालय में रु. 2000/- (रुपए दो हजार मात्र) कॉशनमनी के रूप में जमा करना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि छात्र के संस्थान छोड़ने पर वापस की जाएगी।

(3) एक सदस्य को केवल 05 (पाँच) कार्ड दिए जाएँगे।

(4) पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए दी जाएँगी। निर्गत पुस्तकों को समय से वापस न करने पर प्रथम 15 दिन तक रू. 1/-(एक रुपया) प्रति दिवस एवं इसके बाद रु. 2/- (दो रुपए) प्रति दिवस शुल्क लगेगा।

(5) पुस्तक की माँग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक रखने की निर्धारित अवधि को कम कर सकते हैं, अर्थात् समय से पूर्व पुस्तक को मँगा सकते हैं और पुस्तक को पुनः निर्गमित नहीं किया जा सकता है।

(6) संदर्भ ग्रंथ एवं शोध प्रबंध आदि पुस्तकालय से निर्गत नहीं किये जाएँगे।

पुस्तक क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की दशा में -

यदि पुस्तक का नवीनतम संस्करण (तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, तो उसके मूल्य का दुगुना; 10 वर्ष या उससे कम, पाँच गुना; दस वर्ष या उससे अधिक समय व्यतीत होने पर मूल्य का दस गुना अधिभार लिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मूल्य की गणना विदेशी विनिमय के आधार पर की जाएगी।

बहुखंडीय ग्रंथों के किसी एक खंड के खो जाने/विकृत होने की दशा में सदस्य से ग्रंथ के पूरे सेट का अधिभार सहित मूल्य लिया जाएगा। सदस्य संबंधित खंड भी पुस्तकालय को दे सकता है।

सत्र के अंत में सभी सदस्यों को पुस्तकालय की पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य-सामग्री को वापस करने के बाद ही कॉशनमनी वापस की जाएगी।

छात्रावास

संस्थान में महिला एवं पुरुष छात्रावासों की अलग-अलग व्यवस्था है। पुरुष छात्रावास में पुरुष वार्डन है एवं महिला छात्रावास में महिला वार्डन नियुक्त है। सभी छात्रावासों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल-कूद एवं व्यायाम की व्यवस्था है। महिला एवं पुरुष छात्रावासों में अलग-अलग मेस संचालित हैं, जिसमें शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाया जाता है।

- संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के समय पूरे सत्र के लिए एकमुश्त रुपए 2,500/- (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) छात्रावास रख-रखाव शुल्क के रूप में एवं 2,500/- (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) छात्रावास परिभाव्य धन के रूप में अग्रिम जमा कराने होंगे।
- छात्रावास शुल्क के साथ भोजन पेशगी के तौर पर रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) जमा करना होगा जिसे पाठ्यक्रम समाप्ति पर वापिस कर दिया जाएगा।
- छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को कमरे का आवंटन उपलब्धता के अनुसार वार्डन/केयर टेकर द्वारा किया जाएगा। एक ही राज्य के दो छात्रों या छात्राओं को एक कमरे में नहीं रखा जाएगा।
- छात्रावासों में मेस का संचालन किया जाता है। छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास के मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
- छात्रावास एवं संस्थान परिसर में मादक पदार्थों (शराब, बीड़ी, गुटका आदि) का सेवन करना पूर्णतः निषिद्ध है।
- छात्र/छात्राओं के परिजनों/अभिभावकों को छात्रावासों में जगह उपलब्ध होने पर वार्डन/कुलसचिव की अनुमति से निर्धारित शुल्क पर अधिकतम तीन दिन तक ठहरने की सुविधा होगी।
- छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अपने साथ आवश्यक कपड़े (गर्म एवं सामान्य) तथा बिस्तर (गद्दा/तकिया) कंबल आदि लाना है। दिसंबर से जनवरी तक आगरा में काफी सर्दी होती है। छात्रावास से सिर्फ पलंग उपलब्ध कराया जाता है।
- छात्र/छात्रा के किसी परिचित/अतिथि का बिना पूर्व अनुमति छात्रावास में आना या रहना पूर्णतः निषिद्ध है।
- निर्धारित समय के बाद छात्र/छात्रा का छात्रावास से बाहर जाना निषिद्ध है। विशेष परिस्थितियों में वार्डन/कुलसचिव की अनुमति से छात्र/छात्राएँ बाहर जा सकते हैं।

नोट -

- किसी छात्र/छात्रा का चरित्र/व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने अथवा छात्रावास के नियमों का पालन नहीं करने पर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं एवं नियमों का विस्तृत विवरण प्रवेश के समय छात्रावास से उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रवेश

व्याख्या -

प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा ली जाती है और मूल्यांकन के पश्चात् मेरिट के आधार पर भारत सरकार एवं संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में भारत के हिंदीतर भाषी राज्यों के मूल निवासी, सेवारत/सेवापूर्व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाता है।

नियम -

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि (विज्ञापन के अनुसार) तक भरकर आवेदन शुल्क रु. 500/- (रूपए पाँच सौ मात्र) सामान्य/ओ.बी.सी./ई.डब्लू.एस तथा रु. 250/- (रुपए दो सौ पाचास मात्र) एस.सी./एस.टी वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग (नि:शुल्क) के डिमांड ड्राफ्ट सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा (**Secretary, Kendriya Hindi Shiksan Mandal, Agra)** के पक्ष में देय होगा अथवा ऑनलाइन भुगतान (जो लागू हो) के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी **कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा-282005 (Registrar, Kendriya Hindi Sansthan, Hindi Sansthan Road, Agra-282005)** पते पर कार्यालय में निर्धारित तिथि (विज्ञापन के अनुसार) तक भेजा जाना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपर्युक्त पते पर भेजना अनिवार्य है।
3. हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण पाठ्यक्रमों में सेवापूर्व (प्री-सर्विस) छात्रों का प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा निर्धारित तिथि (विज्ञापन के अनुसार), को दिल्ली, गुवाहटी, हैदराबाद, मैसूर, दीमापुर, नागपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद एवं कलकत्ता केंद्र पर आयोजित होगी । आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया जा सकता है । परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार किन्ही तीन केंद्रों को वरीयता के आधार पर प्रवेश परीक्षा हेतु चयन कर सकता है।

   प्रवेश परीक्षा का प्रश्न-पत्र निम्नवत् होगा -

खंड (क)	:	सामान्य ज्ञान परीक्षण	25 अंक
खंड (ख)	:	शिक्षक अभिरुचि परीक्षण	25 अंक
खंड (ग)	:	भाषा एवं साहित्य परीक्षण	25 अंक
खंड (घ)	:	हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण	25 अंक
		कुल	**100 अंक**

(i) प्रश्नों के उत्तर सामने दिए गए बॉक्स में काली स्याही वाले बॉलपेन से ही चिह्नित करें।

(ii) व्हाइटनर (whitner) का किसी भी रूप में उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(iii) परीक्षा भवन में मोबाइल, कैलकुलेटर, लेपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना प्रतिबंधित है।

(iv) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण [अनु.जा. 15%, अनु.ज.जा. 7.5%, अ.पि.जा. 27% (शारीरिक रूप से अक्षम 5%), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 10%] और राज्यवार एवं संवर्गवार निर्धारित सीटों के अनुसार होगा। प्रवेश की राज्य संवर्ग आधारित व्यवस्था निम्नवत् होगी -

(क) पश्चिमी भारत संवर्ग	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव एवं दादरा और नगर हवेली
(ख) पूर्वी भारत संवर्ग	ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल
(ग) पूर्वोत्तर भारत संवर्ग	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं सिक्किम
(घ) उत्तरी भारत संवर्ग	पंजाब, जम्मू-कश्मीर एवं लेह-लद्दाख
(ङ) दक्षिणी भारत संवर्ग	आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप।

उपर्युक्त संवर्ग आधारित व्यवस्था में सीटों का आवंटन राज्यवार होगा तथा प्रत्येक राज्य को तीन-तीन सीटों का आवंटन किया जाएगा। यदि किसी राज्य में उचित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसी संवर्ग के अन्य राज्य के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वरीयता के आधार पर अन्य राज्य से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

5. शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों हिंदी शिक्षण निष्णात (सेमेस्टर प्रणाली), हिंदी शिक्षण पारंगत (सेमेस्टर प्रणाली) तथा हिंदी शिक्षण प्रवीण (वार्षिक प्रणाली) के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम में उच्चतम प्राप्तांक को आधार मानते हुए प्रवेश परीक्षा परिणाम में उत्तीर्णता के लिए 40 प्रतिशत को न्यूनतम माना जायेगा। इस आधार पर संबंधित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा का कटऑफ प्राप्तांक निर्धारित होगा। पूर्वोत्तर एवं दक्षिणी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा परिणाम में उत्तीर्णता के लिए उपरोक्तानुसार प्राप्त कटऑफ प्राप्तांक में 10 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था रहेगी।

6. प्रवेश परीक्षा के बाद चुने गए सभी आवेदकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत होंगे :

(क) शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र

(ख) जन्म-तिथि संबंधी प्रमाण पत्र

(ग) मूल निवास (Domicile) प्रमाण पत्र

(घ) यदि सेवारत हैं तो वर्तमान सेवा-संस्था से प्राप्त निवृत्ति पत्र

(ङ) स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल से प्राप्त)

(च) राजपत्रित अधिकारी (Gazetted officer) और अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र

(छ) माइग्रेशन प्रमाण-पत्र

(ज) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC)/लीविंग प्रमाण-पत्र (LC)

7. राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता, योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उनकी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी परंतु इनको संस्था में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी उनके विभाग द्वारा निदेशक स्कूल शिक्षा/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र एवं क्रम सं. 06 में उल्लिखित सभी संलग्नकों सहित संस्थान को निर्धारित अवधि तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
8. शिक्षक प्रशिक्षण परक हिंदी शिक्षण निष्णात (सेमेस्टर प्रणाली), हिंदी शिक्षण पारंगत (सेमेस्टर प्रणाली) एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण (वार्षिक प्रणाली) कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित कुल सीटों में से सर्वप्रथम शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को अधिकतम 30% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा तथा शेष 70% सीटों पर सेवापूर्व अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के 30% सीटों पर प्रवेश प्राप्त न करने की स्थिति में इनकी शेष सीटें सेवापूर्व अभ्यर्थियों से भरी जाएगी अथवा सेवापूर्व अभ्यर्थियों के 70% सीटों पर प्रवेश प्राप्त न करने की स्थिति में इनकी शेष सीटें शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जाएँगी।
9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं तथा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की जाँच कराई जा सकती है। किसी भी प्रकार की सूचना के गलत तथा प्रमाण-पत्रों के अवैध पाए जाने पर उनका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की समस्त धनराशि (जो राशि प्रवेश के समय जमा की गई) जब्त कर ली जाएगी।
10. प्रवेश विवरणिका के अंत में आवेदन पत्र दिए गए हैं, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित लिंक www.**hindisansthan.in** पर क्लिक करें।
11. प्रशिक्षणार्थियों को सत्र की अवधि में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सत्र की अवधि में कोई छात्र/छात्रा ऐसा करते हुए पाया गया/पायी गयी, तो उसे संस्थान से निष्कासित कर परीक्षा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति भी वसूल कर ली जाएगी।
12. जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश नहीं होगा उनका रिकार्ड संस्थान में मात्र तीन वर्ष ही रखा जाएगा।
13. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर करने के उपरांत यदि कोई छात्र तृतीय सेमेस्टर में निर्धारित अवधि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो उसे चतुर्थ सेमेस्टर में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगले वर्ष नये शैक्षिक सत्र के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ ही उसे तृतीय सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाएगा।

14. प्रवेश रद्द करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अत: निदेशक महोदय की स्वीकृति के उपरांत ही विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जाएगा।

सामान्य सूचना

1. संस्थान के मुख्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 6,000/- (रूपए छः हजार मात्र) प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार छात्रवृत्ति कटौती का भी प्रावधान है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।
2. अध्यापक शिक्षा विभाग की सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के संचालन हेतु छात्र/छात्राओं की 'साहित्य सभा' का गठन किया जाता है। हिंदी शिक्षण निष्णात से- सचिव, हिंदी शिक्षण पारंगत से- उपसचिव एवं प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा को कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा। आवश्यकतानुसार अन्य समितियों का गठन किया जाएगा। साहित्य सभा एवं अन्य समितियाँ विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग के निर्देशन में कार्य करेंगी।
3. संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षणार्थियों की पत्रिका '**समन्वय**' हर वर्ष प्रकाशित होती है, जिसमें उनके स्वरचित लेख, कविता, कहानी इत्यादि प्रकाशित किए जाते हैं।
4. सत्रावधि में केवल 12 दिनों का शीतावकाश दिया जाएगा। इस अवकाश की वास्तविक तिथियों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर के आधार पर की जाएगी।
5. कोई भी प्रशिक्षणार्थी विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग/कुलसचिव/निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना नगर से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर अनुमति लेनी होगी।
6. संस्थान में होने वाले सह-पाठयक्रमीय कार्यक्रमों, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के आयोजनों, गोष्ठियों और समारोहों आदि में सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी अर्थदंड के भागी होंगे।
7. वार्षिक परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार अवकाश दिया जाएगा। उस अवकाश काल में कोई छात्र नगर से बाहर नहीं जा सकेगा।
8. सत्र की अवधि में दो बार आंतरिक परीक्षा ली जाएगी, जो अक्टूबर एवं मार्च में संपन्न होंगी। इन परीक्षाओं में प्रत्येक छात्र का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
9. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी सत्र के बीच में पाठ्यक्रम छोड़कर जाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसकी देय धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
10. कक्षाओं/परीक्षा में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाना प्रतिबंधित है। यदि ये वस्तुएँ किसी के पास पायी जाती हैं, तो उसी समय जब्त कर ली जाएँगी और सत्रांत के बाद ही वापस की जाएँगी।
11. संस्थान परिसर, छात्रावास एवं कक्षाओं में किसी भी प्रकार का अमर्यादित आचरण (आपसी कलह, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ आदि) तथा अनुचित अस्त्र-शस्त्र का रखना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। यदि

किसी को ऐसा करते हुए पाया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई/निष्कासन भी संभव है। इस दशा में छात्रवृत्ति भी वापस करनी होगी।

12. निर्धारित पोशाक नियमानुसार अनिवार्य है :

(क) महिलाओं के लिए नीले रंग की 04 इंच बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, नीला ब्लाउज अथवा सफेद सलवार, नीले रंग का कुर्ता और सफेद चुन्नी एवं नेवी ब्लू स्वेटर तथा काले रंग की जूती/सैंडिल व सफेद रंग के मोजे।

(ख) पुरुषों के लिए नीले रंग का पैंट, सफेद शर्ट एवं गहरा नीला स्वेटर या कोट तथा काले रंग के जूते/सैंडिल व सफेद रंग के मोजे।

13. कक्षाओं का समय प्रति सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) निम्नलिखित होगाः

(क) कक्षाओं में आगमन एवं स्थान ग्रहण प्रातः 09:30 ।

(ख) वाणी वंदना, संस्थान गीत, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान तथा आज के विचार प्रातः 9.30 से आरंभ होगी ।

(ग) कक्षाएँ प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियां सायं 5:00 बजे से 6:00 बजे तक आयोजित की जाएँगी।

(घ) प्रतिदिन मध्यावकाश 01.00 बजे से 2.00 बजे तक रहेगा।

(ड) पुस्तकालय के लिए निर्धारित अंतर में पुस्तकालय जाना और आई.सी.टी. से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अंतर में भाषा प्रयोगशाला जाना अनिवार्य है।

14. स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य है। इसका आयोजन मुख्यालय आगरा के प्रशिक्षणार्थियों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग और केंद्रों/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए केंद्र/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

15. छात्र पात्रिका रु. 200/-(रुपए दो सौ मात्र), छात्र कल्याण कोष रु. 100/- (रुपए एक सौ मात्र) एवं पहचान पत्र रु. 100/- (रुपए एक सौ मात्र) वार्षिक शुल्क जमा करना होगा ।

परीक्षा नियम

1. संस्थान की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र में निर्धारित तिथियों में संपन्न होंगी। इसके लिए संस्थान द्वारा समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किए जाने वाले परीक्षा नियम लागू होंगे।
2. विद्यार्थियों को वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन पत्र संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अध्यापक शिक्षा विभाग/संबंद्ध महाविद्यालय में जमा कराना होगा। इन परीक्षा आवेदनों को अध्यापक शिक्षा विभाग एक सप्ताह एवं संबद्ध महाविद्यालय 15 दिन के भीतर अग्रसारित कर परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराएँगे। परीक्षा आवेदन पत्र के लिए रु.800/700 जो लागू हो [रु.200/- नामांकन शुल्क (प्रथम सेमेस्टर) और रु.600/- (हिंदी शिक्षण निष्णात हेतु) रु.500/- (हिंदी शिक्षण पारंगत हेतु) परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर)] देय होगा। यह धनराशि विद्यार्थी से प्रवेश के समय जमा कराई जाएँगी।
3. परीक्षा आवेदन पत्र खोने/खराब होने की स्थिति में दूसरा आवेदन पत्र रु.100/- मात्र जमा करने के पश्चात् ही मिलेगा।
4. सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा की अंतिम/मुख्य परीक्षा में वे ही विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जिनकी कक्षा में उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी।
5. कक्षा उपस्थिति की गणना शैक्षिक सत्र के कक्षा शिक्षण के प्रारंभ होने की तिथि से होगी, चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया गया हो।
6. यदि अभ्यर्थी के प्रवेश की तिथि शैक्षिक सत्र के कक्षा शिक्षण के प्रारंभ होने की तिथि के बाद की तिथि है, तब कक्षा उपस्थिति की गणना अभ्यर्थी के प्रवेश की तिथि से ही की जाएगी।
7. विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।
8. सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता की निम्नलिखित श्रेणियाँ निर्धारित हैं -

प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित	-	75 प्रतिशत और इससे अधिक
प्रथम श्रेणी	-	60 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत तक
द्वितीय श्रेणी	-	50 प्रतिशत से 59.99 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	-	40 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
अनुत्तीर्ण	-	0.00 प्रतिशत से 39.99 प्रतिशत तक

यदि कोई विद्यार्थी पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण पत्र में **"प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता"** सहित का उल्लेख किया जायेगा।

सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा मूल्यांकन पद्धति का विवरण निम्न प्रकार निर्धारित है -

परीक्षा मूल्यांकन पद्धति (EXAMINATION EVALUATION METHOD)

 # प्राप्तांकों का ग्रेड एवं ग्रेड बिंदु में रूपांतरण
(Conversion of Marks into Grade and Grade Point)

क्र. S.	अंकों का प्रतिशत Percentage of Marks	प्रतिशत के लिए प्रदत्त ग्रेड अक्षर Grade Letter Allotted for Percentage	ग्रेड बिंदु Grade Point
1.	90-100	O	10
2.	80-89.99	A+	9
3.	70-79.99	A	8
4.	60-69.99	B+	7
5.	50-59.99	B	6
6.	40-49.99	C	5
7.	00-39.99	F	0
8.	NIL	Ab	0

 # एसजीपीए एवं सीजीपीए का ग्रेड में रूपांतरण एवं ग्रेड विवरण
(Conversion of SGPA & CGPA into Grade and Grade Description)

सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत SEMESTER GRADE POINT AVERAGE (SGPA)	संचयी ग्रेड बिंदु औसत CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE (CGPA)	प्रतिशत के लिए प्रदत्त ग्रेड अक्षर GRADE LETTER ALLOTTED FOR PERCENTAGE	परिणाम RESULT	ग्रेड विवरण/निष्पादन GRADE Description/Performance
9.5-10	9.5-10	O	उत्तीर्ण/PASS	श्रेष्ठतम/Outstanding
8.5-9.49	8.5-9.49	A+	उत्तीर्ण/PASS	उत्कृष्ट/Excellent
7.5-8.49	7.5-8.49	A	उत्तीर्ण/PASS	अति उत्तम/Very Good
6.5-7.49	6.5-7.49	B+	उत्तीर्ण/PASS	उत्तम/Good
5.5-6.49	5.5-6.49	B	उत्तीर्ण/PASS	सामान्य/Average
4.5-5.49	4.5-5.49	C	उत्तीर्ण/PASS	उत्तीर्ण/Pass
0.0-4.49	0.0-4.49	F	अनुत्तीर्ण/FAIL	अनुत्तीर्ण/Fail
0	0	Ab	-	अनुपस्थित/Absent

सीजीपीए एवं समतुल्य प्रतिशत के अनुसार श्रेणी का विवरण (Description of Grade according to CGPA and Percentage) :

क्र.सं./ S.No.	संचयी ग्रेड बिंदु औसत/Cumulative Grade Point Average (CGPA)	समतुल्य प्रतिशत/ Equivalent Percentage	श्रेणी/Division
1.	8.0 या इससे अधिक	75% या इससे अधिक	प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित
2.	6.5 - 7.99	60% - 74.99%	प्रथम श्रेणी
3.	5.5 - 6.49	50% - 59.99%	द्वितीय श्रेणी
4.	4.5 - 5.49	40% - 49.99%	तृतीय श्रेणी
5.	0.00 - 4.49	0.00% - 39.99%	अनुत्तीर्ण

9. वार्षिक प्रणाली पर आधारित संचालित सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्णता के लिए आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा में समेकित रूप से कुल 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है एवं सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्णता के लिए आंतरिक परीक्षा में 40 प्रतिशत एवं बाह्य परीक्षा में 40 प्रतिशत अलग-अलग अंक लाना अनिवार्य है।

10. द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में जाने की स्थिति में श्रेणी सुधार के लिए मात्र 01 अंक का कृपांक दिया जाएगा। यह कृपांक अंकतालिका के कुल प्राप्तांक+1 कर दर्शाया जाएगा तथा इसका उल्लेख अंकतालिका में (*) दर्शाकर किया जाएगा।
11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों - हिंदी शिक्षण निष्णात और हिंदी शिक्षण पारंगत एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 (तीन) वर्ष निर्धारित है। तीन वर्ष की अवधि की गणना विद्यार्थी द्वारा प्रथम बार लिए गए प्रवेश की तिथि से की जाएगी।
12. विद्यार्थी की नियमानुसार कक्षा कार्यदिवसों में उपस्थिति होने पर (मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर) निर्धारित नियमानुसार पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्णता हेतु निम्नानुसार अवसर प्रदान किए जाएँगे -

(क) प्रथम सेमेस्टर	-	पाँच अवसर
(ख) द्वितीय सेमेस्टर	-	चार अवसर
(ग) तृतीय सेमेस्टर	-	तीन अवसर
(घ) चतुर्थ सेमेस्टर	-	दो अवसर

13. पूरक परीक्षा के लिए प्रति प्रश्न पत्र रु.100/- शुल्क देय होगा। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा आवेदन-पत्र भरकर **परीक्षा नियंत्रक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा** को भेजना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।
14. यदि कोई विद्यार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो उन्हें संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि/सूचना के भीतर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए प्रति प्रश्न पत्र रु.1000/- मात्र शुल्क के रूप में जमा होंगे। यह सुविधा अधिकतम दो प्रश्न पत्रों के लिए ही होगी।
15. संस्थान द्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली पर संचालित पाठ्यक्रमों की 02 (दो) आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम एक आंतरिक परीक्षा में विद्यार्थी को उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।
16. प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी उत्तर पुस्तिकाएँ, अतिरिक्त प्रश्न पत्र, निरस्त आवेदन पत्रों को तीन (03) वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
17. अंक पत्र एवं उपाधि/प्रमाण पत्र में त्रुटियों का निराकरण अंक पत्र जारी होने की तिथि से एक (01) वर्ष के भीतर किया जाएगा। विद्यार्थी की हाईस्कूल अथवा दसवीं कक्षा की अंकतालिका/उपाधि/प्रमाण-पत्र पर उल्लिखित अंग्रेजी भाषा में दर्शाए गए नाम के अनुसार ही संस्थान द्वारा अंकतालिका/उपाधि/प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। अंकतालिका एवं उपाधि/प्रमाण पत्रों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना हो, तो विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय रु.10/- (रुपए दस) मात्र के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अंकतालिका/उपाधि/प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु

प्रत्येक के लिए शुल्क रू.500/- (रूपए पाँच सौ) मात्र निर्धारित है। संस्थान स्तर पर त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

18. संस्थान द्वारा जारी अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (DUPLICATE) के लिए क्रमशः रु.500/- और रु.1000 शुल्क निर्धारित किया गया है। डुप्लीकेट अंकतालिका एवं उपाधि/प्रमाण पत्र की मांग करने पर छात्र को शपथ-पत्र के साथ पुलिस की प्राथमिकी की सूचना (FIR) अथवा समाचार-पत्र में विज्ञप्ति की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
19. समेकित अंकतालिका अंतिम सेमेस्टर में जारी की जाएगी। पूरक परीक्षाओं की समेकित अंकतालिका अलग से जारी नहीं की जाएगी।
20. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु रू.100/- (रुपए एक सौ मात्र) एवं कार्यक्रम/पाठ्यक्रम उपाधि/प्रमाण-पत्र हेतु रु.300/- (रुपए तीन सौ मात्र) शुल्क जमा करना होगा।
21. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान अल्प दृष्टि दिव्यांगता के कारण अथवा लेखन में अक्षम रहने पर लेखन सहायक (writer) की माँग करता है, तो यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार संस्थान द्वारा की जाएगी।
22. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में नकल अथवा अनुचित साधनों के साथ पकड़ा/पाया जाता है, तो नकल निस्तारण समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर निदेशक महोदय द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
23. संस्थान में प्रवेशार्थियों का प्रवेश वार्षिक पद्धति से किया जाता है, सेमेस्टर पद्धति से नहीं। संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत किसी भी कारण से (चिकित्सा समस्या सहित) यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर/वार्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की कक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो परीक्षा देने के लिए निर्धारित उपस्थिति का प्रतिशत पूर्ण न होने के कारण उस सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी और न ही परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किए जाएँगे तथा इस विद्यार्थी को अगले शैक्षिक सत्र में उसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
24. न्यायिक मामले में केवल आगरा शहर ही मान्य है।

चिकित्सा

व्यवस्था :

छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए संस्थान की ओर से चिकित्सा की व्यवस्था है।

नियम :

1. संस्थान के चिकित्सक द्वारा ही प्रशिक्षणार्थियों को अपनी चिकित्सा करानी होगी। सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर बाहर के डॉक्टर से उसी दशा में चिकित्सा करा सकते हैं जब (1) संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर हों या (2) ऐसे समय जब उन्हें बुलाना संभव न हो, अधिकारी अपने विवेक से बीमार छात्र को सरकारी अस्पताल या संस्थान द्वारा अधिकृत अस्पताल से चिकित्सा करा सकते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा एक या दो दिन के लिए या उस अवधि के लिए होगी, जब तक संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर होंगे। इस चिकित्सा का व्यय संस्थान अपने नियमों के अनुसार वहन करेगा।
2. यदि कोई छात्र/छात्रा अपनी इच्छा से, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी बाहरी डॉक्टर से चिकित्सा कराएँगे तो उसका सारा व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। संस्थान ऐसी किसी भी चिकित्सा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
3. यह सुविधा केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए लागू है।
4. छात्र बीमा हेतु रू. 255/- (रूपए दो सौ पचपन मात्र) वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।
5. चिकित्सा निधि हेतु रु. 200/- (रुपए दो सौ मात्र) वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।
5. केवल डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चिकित्सा-अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा।
6. प्रवेश के बाद दीर्घकालिक बीमारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। दाँतों की किसी भी प्रकार की शिकायत/चिकित्सा का व्यय भार संस्थान वहन नहीं करेगा।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (Central Institute of Hindi)

<u>सत्र (Session) : 2026-28</u>

प्रवेश आवेदन-पत्र (Admission Form)

आवेदन पत्र क्रमांक (Form No.)

गेटवे ट्रांसक्शन क्रमांक (Gateway Transaction No.)

बैंक ट्रांसक्शन क्रमांक (Bank Transaction No.)

ट्रांसक्शन क्रमांक (Transaction No.)

* सेवापूर्व/सेवारत (Pre-service/In-service)
* पाठ्यक्रम (Course)
* नाम (Name)
* माता का नाम (Mother's Name) ____________________________ मोबाइल न. - ....
* पिता का नाम (Father's Name) ____________________________ मोबाइल नं. - ....
* अधिवास (Domicile)

जन्म विवरण (Birth Details)

* जन्म तिथि (Date of Birth)
* जन्म स्थान (Place of Birth)
* जिला (District)
* प्रदेश/राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (State and Union Territories)
* देश (Country)
* मातृभाषा (Mother Tongue)
* राष्ट्रीयता (Nationality)
* धर्म (Religion)
* वर्ग (Category)
* विकलांगता (Disability)
* लिंग (Gender)
* वैवाहिक स्थिति (Marital Status)
* ग्रामीण/शहरी क्षेत्र (Rural/Urban)
* आधार संख्या (Adhar Number)

स्थायी पता (Permanent Address Details)

पता (Address)

मार्ग (Street)

डाकघर (Post Office)

थाना (Police Station)

शहर (City)/गाँव (Village)

जिला (District)

प्रदेश/राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (State and Union Territories)

पिन (Pin/Zip)

पत्र व्यवहार का पता (Correspondence Address Details)

पता (Address)

मार्ग (Street)

डाकघर (Post Office)

थाना (Police Station)

शहर (City)/गाँव (Village)

जिला (District)

प्रदेश/राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (State and Union Territories)

पिन (Pin/Zip)

* मोबाइल नं. (Mobile No.)
* ई-मेल आईडी (E-Mail ID)

परीक्षा का केंद्र (Examination Centre)

1.
2.
3.

शैक्षणिक योग्यताएँ

(क) मैट्रिक/एम.एस.एल.सी. Matric/M.S.L.C.

उत्तीर्णता का वर्ष (year of) Passing)	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय) Name of Institution (Board/University)	पूर्णांक (Total Marks)	प्राप्तांक (Secured Marks)	प्राप्तांक प्रतिशत (Marks Obtained Percentage)	श्रेणी (Division)/ वर्ग (Grade)	परीक्षा विषय (Subjects Offered अल्पविराम से अलग (Comma Separated)

ख) पी.यू.सी./इण्टरमीडिएट P.U.C./Intermediate

उत्तीर्णता का वर्ष (year of) Passing)	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय) Name of Institution (Board/University)	पूर्णांक (Total Marks)	प्राप्तांक (Secured Marks)	प्राप्तांक प्रतिशत (Marks Obtained Percentage)	श्रेणी (Division)/ वर्ग (Grade)	परीक्षा विषय (Subjects Offered अल्पविराम से अलग (Comma Separated)

(ग) स्नातक Graduation

उत्तीर्णता का वर्ष (year of) Passing)	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय) Name of Institution (Board/University)	पूर्णांक (Total Marks)	प्राप्तांक (Secured Marks)	प्राप्तांक प्रतिशत (Marks Obtained Percentage)	श्रेणी (Division)/ वर्ग (Grade)	परीक्षा विषय (Subjects Offered अल्पविराम से अलग (Comma Separated)

(घ) अन्य योग्यताएँ (Other Qualifications)

Appearing

शैक्षणिक योग्यताएँ (Educational Qualifications)	शैक्षणिक सत्र (Academic Session)	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय) Name of Institution (Board/University)	पाठ्यक्रम समाप्ति का समय (Expected time of course completion)	परीक्षा-विषय (Subjects Offered)

घोषणा (Declaration)

* उपरोक्त सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही हैं। यदि प्रवेश/पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी चरण में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरा चयन रद्द किया जा सकता है।
* The above mentioned information provided by me is correct to my knowledge and belief. If any information being found false at any stage of admission or course, my selection is liable to be cancelled.

* हस्ताक्षर (Signature)

प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर करें और अपना पूरा नाम हिंदी में लिखें (Do signature and write your full name in Hindi on printout)

आपके हस्ताक्षर (Your Signature) हिंदी में पूरा नाम (Full name in Hindi)